न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

रामेश्वर लाल बनाम भंवर लाल आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीएक्ट
प्रार्थना पत्र संख्या :– 28/2023
GCMSसंख्या :– 2023/34

18.05.2023 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थी श्री मदन ज्याणी के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी को 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, दस्तावेजों एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए पक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील रावला के चक 9 पीएसडी–ए के प0नं0 174/18 मु0न0 9 के किला नं. 01 ता 13 की कुल 3.163 है0 कमाण्ड कृषि भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि चक 9 पीएसडी–ए के प0न0 174/18 मु0न0 9 के किला न0 15, 16, 25 में 10–10 फूट चालू रास्ता को अप्रार्थी संख्या 1 बन्द करने से आगामी तारीख पेशी तक बाज व ममनू रहे। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करे, उनके द्वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। बैंक के रहन होने की स्थिति में रहन मुक्त करवाने या बैंक राशि जमा करवाने के लिए यह स्थगन निष्प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करके पत्रावली दिनांक 08.08.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

13-06-23 अप्रार्थी सं.1 द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 में क्रमांक 13002 में पेश हुई। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब प्रा० पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की ऐवज में आने वाली भूमि अप्रार्थी सं. 1 को दिये जावे पर रास्ता स्वीकृत करने में अपनी सहमति प्रदान की गई। वकील प्रार्थी एवं

अप्रार्थी सं. 1 को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता की ऐवज में आने वाली भूमि अप्रार्थी सं. 1 को दी जाने पर सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर शामिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर मजमे आम में सुनाया गया।

(signature)

(अमिता बिश्नोई)
RAS.